

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 239\*

जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

**विद्युत-चालित वाहन को बढ़ावा देना**

**239\* . डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विद्युत चालित-वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत दो वर्षों के दौरान बेचे गए विद्युत-चालित वाहनों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार देश में ग्राहकों को विद्युत-चालित वाहन खरीदने के लिए कोई राजसहायता उपलब्ध करा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“विद्युत-चालित वाहन को बढ़ावा देने” के संबंध में डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 09 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड): जी, हां। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन (एक्सईवी) प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ₹795 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया योजना) चरण-I को अधिसूचित किया। इस स्कीम को ₹895 करोड़ के कुल वर्धित परिव्यय के साथ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत, व्यापक अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए अप्रेंट कम खरीद मूल्य के रूप में इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीदारों को मांग प्रोत्साहन उपलब्ध थे। योजना के इस चरण के तहत ₹343 करोड़ (लगभग) के कुल मांग प्रोत्साहन देकर लगभग 2.78 लाख वाहनों की सहायता की गई। प्रायोगिक परियोजना के रूप में, योजना के इस चरण के तहत अनेक शहरों/राज्यों को 465 बसें भी मंजूर की गईं। इसके अलावा, इस चरण में प्रौद्योगिकी मंच और चार्जिंग अवसंरचना के तहत अनेक परियोजनाएं भी मंजूर की गईं।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टैकहोल्डर्स से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया योजना के चरण-II को अधिसूचित किया, जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतिकरण की सहायता करने पर केन्द्रीत होगा, और मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चुनिन्दा शहरों में और मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की सहायता की जाएगी।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- (i) नई जीएसटी प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर पारंपरिक वाहनों हेतु 22% तक के उप-कर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में 12% के निचले स्तर (कोई उप-कर नहीं) में रखा गया है।
- (ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। यह चार्जिंग अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा।
- (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों के मामले में परमिट में छूट से संबंधित अधिसूचना जारी की।

(ग): विगत दो वर्षों में फेम इंडिया योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त श्रेणी-वार एक्सईवी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	2017-18	2018-19	कुल
1.	दुपहिया (2 डब्ल्यू)	54833	77205	132038
2.	तिपहिया (3 डब्ल्यू)	367	1833	2200
3.	चौपहिया (4 डब्ल्यू)	1731	2066	3797
	<b>कुल</b>	<b>56931</b>	<b>81104</b>	<b>138035</b>

फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसकी गणना ई-बसों, जिनके लिए प्रोत्साहन राशि ₹20,000/किवा. घंटा है, के अलावा सभी वाहनों के लिए ₹10,000/किवा. घंटा अर्थात् सभी पात्र वाहनों की बैटरी क्षमता के आधार पर की जाती है। वाहन की प्रत्येक क्षेणी के लिए प्रोत्साहन का विस्तृत ढांचा फेम योजना अधिसूचना [का.आ. सं. 1300 (ई) दिनांक 08 मार्च, 2019] में दिया गया है, जो विभाग की वेबसाइट ([www.dhi.nic.in](http://www.dhi.nic.in)) पर उपलब्ध है।